रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 23
No. 60] DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937 [N.C.T.D. No. 23

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 12 मई, 2015

सं. फा. 8/34/2007/गृह पुलिस-II/3672.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यूटीएल (आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, (1) थाना कनॉट प्लेस में दर्ज प्राथमिकी सं. 395/2004 (2) थाना सरोजनी नगर में दर्ज प्राथमिकी सं. 411/2008 (3) थाना तिलक मार्ग में दर्ज प्राथमिकी सं. 277/2009 के मामले में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रकरण के संचालन हेतु श्री राजीव मोहन को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री राजीव मोजन, विशेष लोक अभियोजक को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा :-

1.	उपस्थिति के लिए प्रभार (समेकित)	– 11,000/- रुपये
2.	जुनियर शुल्क (समेकित)	– 5,000/- रुपये
3.	कान्फ्रेंस और ड्राफ्टिंग प्रभारों के लिए एक मुश्त भुगतान	– 5000/- रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. आहुजा, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th May, 2015

F. No. 8/34/2007/HP-II/3672.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to

appoint Shri Rajiv Mohan, Advocate as Special Pubic Prosecutor to conduct cases (1) FIR No. 395/2004, P.S. Connaught Place, (2) FIR No. 411/2008, P.S. Sarojini Nagar, (3) FIR No.277/2009 P.S. Tilak Marg in the Court of competent jurisdiction. Fee payable to Shri Rajiv Mohan, Special Public Prosecutor shall be as under:-

1.	Charges for appearance (Consolidated)	—	Rs. 11,000.00
2.	Junior Fee (Consolidated)	—	Rs. 5,000.00
3.	One time payment for conference and drafting charges	—	Rs. 5,000.00

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. AHUJA, Dy. Secy. (Home)

दिल्ली, 12 मई, 2015

सं.फा. 3/02/एचईएसएमए/2015/गृह पुलिस-II/3631.--जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं अनिवार्य सेवाएं हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जन-जीवन कि लिए आवश्यक हैं ।

और जबकि परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने दिनांक 11.5.2015 (सोमवार) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बाधित होने की आशंका है, जिसके कारण दिल्ली के निवासियों, आगंतुकों तथा यात्रियों को असुविधा और कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन पर प्रतिबंध लागाना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है ।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 1993 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526(अ) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा कथित सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हडताल पर छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव गुप्ता, उप-सचिव (गृह)

Delhi, the 12th May, 2015

F. 3/02/HESMA/2015/HP-II/3631.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that services of Delhi Transport Corporation are essential services necessary for the life of people in the National Capital Territory of Delhi.

And whereas the employees of Delhi Transport Corporation have threatened to go on indefinite strike w.e.f. 11-5-2015 (Monday), which is likely to lead to disruption of public transport system causing inconvenience and hardship to the residents, visitors and commuters of Delhi.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by Delhi Transport Corporation Employees.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi *vide* Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30-7-93, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike by Delhi Transport Corporation Employees in the National Capital Territory of Delhi for a period of six months.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV GUPTA, Dy. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054